न्यायालय संभागीय आयुक्त, बीकानेर संभाग, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी श्री हनुमान सहाय मीना, आई.ए.एस.

अपील संख्या 23/2017एल.आर.एक्ट

महफूज मोहम्मद पुत्र अब्दुल अजीज जाति मुसलमान मांगलिया निवासी रिड़मलसर सिपाहीयान तहसील व जिला बीकानेर

अपीलान्ट

बनाम

1. स्टेट जरिये तहसीलदार(राजस्व) बीकानेर ।

रेस्पोन्डेंट

उपस्थितः 1– श्री सुरेश शर्मा, अभिभाषक अपीलान्ट
2– श्री सुभाष सहू, राजकीय अभिभाषक ।

निर्णय

दिनांक 24.12.2019

1. यह प्रथम अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम् 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बीकानेर के आदेश दिनांक 9.1.2017, जिसके द्वारा प्रार्थी अपीलान्ट महफुज मोहम्मद द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट खारिज किया गया, के विरुध्द इस न्यायालय में प्रस्तुत हुई है ।
2. अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी अपीलान्ट ने दिनांक 3.5.10 को उपखण्ड अधिकारी (उत्तर) बीकानेर के समक्ष राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी की कृषि भूमि शिवबाड़ी तहसील व जिला बीकानेर में स्थित है । उक्त कृषि भूमि खसरा नं0453 में तादादी 14.15 बीघा इब्राहीम पुत्र बग्सुखां मांगलिया साकिन रिड़मलसर के नाम की खातेदारी की राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज थी । इब्राहीमखां ने अपने जीवनकाल में वसीयतनामा दिनांक 18.12.72 को प्रार्थी के हक में तहरीर व तकमील कर दिया था । इब्राहीमखां के देहान्त हो जाने के पश्चात उक्त कृषि भूमि का वसीयति इन्तकाल दर्ज करने के लिए प्रार्थना पत्र,वसीयतनामा, मृत्युप्रमाण पत्र पेश किया, जिस पर वसीयत के आधार पर उक्त कृषि भूमि प्रार्थी के नाम दर्ज कर दी गयी । प्रार्थी सरकारी नौकरी में बाहर था, अतः इन्तकाल प्रति नहीं की और दिनांक 25.2.12 को आवश्यकता होने पर खसरा नं0 453 ग्राम शिवबाड़ी की नकल प्राप्त की, तब प्रार्थी को ज्ञान हुआ कि प्रार्थी के पिता का नाम अब्दुल

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

अजीज मांगलिया के स्थान पर इब्राहीमखां सहवन से गलत अंकित कर दिया, जबकि प्रार्थी के पिता का नाम सरकारी रिकॉर्ड में अब्दुल अजीज मांगलिया है । अतः कृषि भूमि तादादी 14.15 बीघा महफुज मोहम्मद में पिता कानाम इब्राहीमखां को कलमजन कर प्रार्थी के पिता का नाम अब्दुल अजीज मांगलिया अंकिन किया जाकर रिकॉर्ड दुरुस्त किया जावे। प्रार्थी अपीलान्ट के धारा 136 के उक्त प्रार्थना पत्र पर उपखण्ड न्यायालय, बीकानेर द्वारा बाद सुनवाई आदेश दिनांक 9.1.17 द्वारा खारिज कर दिया गया, जिसके विरुध्द इस न्यायालय में यह प्रथम अपील प्रस्तुत की गयी है ।

3. अभिभाष अपीलान्ट द्वारा वरवक्त बहस दस्तावेज प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम शिवबाड़ी तहसील बीकानेर केखसरा नं0 453 की तादादी 14.15 बीघा भूमि इब्राहीमखां पुत्र बग्सुखां जाति मुसलमान मांगलिया के नाम से खातेदारी की दर्ज थी । इब्राहीमखां ने अपने जीवनकाल में दिनांक 18.12.72 को वसीयतनामा निष्पादित किया, जो इब्राहीमखां की मृत्यु के पश्चात प्रार्थी अपीलान्ट के नाम से वसीयति इन्तकाल द्वारा दर्ज हो चुकी थी। प्रार्थी अपीलान्ट सरकारी कर्मचारी होने से हनुमानगढ तैनात रहा एवं सेवानिवृत होने के पश्चात नकल प्राप्त करने पर पता चला कि लिपिकीय गलती से अपीलान्ट के पिता का नाम इब्राहीमखां लिख दिया गया है, जिसे दुरुस्त करवाने उपखण्ड न्यायालय में प्रस्तुत किया गया, जो रिकॉर्ड का अवलोकन किये बिना ही निरस्त कर दिया गया । जबकि इब्राहीमखां अपीलान्ट के पिता नहीं थे, नाना लगते थे । अतः उनका नाम अपीलान्ट के पिता के नाम के स्थान पर आने के कारण अपीलान्ट को इब्राहीमखां नाम दुरुस्त करवाने का हक हासिल है । अतः अपीलाधीन आदेश निरस्त कर कृषि भूमि ग्राम रिडमलसर तहसील बीकानेर के रिकॉर्ड खसरा नं0 453 की तादादी 14.15 बीघा में महफूल मोहम्मद वल्द अब्दुल अजीज मुसलमान मांगलिया दर्ज किये जाने का आदेश फरमाया जावे ।

4. राजकीय अभिभाषक ने अपनी बहस में बताया कि धारा 136 के अन्तर्गत लिपिकीय गल्ति ही सुधारी जा सकती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किया गया आदेश नियमानुसार है । अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जावे ।

5. हमने उभय पक्ष की बहस को मध्यनजर रखते हुए उपलब्ध रिकॉर्ड का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया । प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 9.1.17 इस आधार पर पारित किया गया है कि वसीयति इन्तकाल सं0425 अपने आप में आदेश होता है, जिसमें धारा 136 के प्रार्थना पत्र पर दुरुस्ति नहीं की जा सकती है । हम अधीनस्थ न्यायालय पारित किये गये उक्त निर्णय से सहमत नहीं हैं, क्योंकि नामान्तरकरण एक समरी कार्यवाही है, नामान्तकरण अपने आप में एक आदेश नहीं है। बल्कि वसीयति नामान्तरकरण सं0 425 वसीयत दिनांक 18.12.72 अनुसार प्रार्थी अपीलान्ट अब्दुल अजीज के नाम से तहसीलदार द्वारा वसीयत की सरसरी जांच उपरान्त पारित

उपखण्ड अधिकारी
बीकानेर

किये गये आदेश की पालना में दर्ज किया गया है, जिसमें अपीलान्ट के पिता का नाम इब्राहीमखां मांगलिया दर्ज किया गया है । अपीलान्ट का मुख्यरुप से कथन है कि उसके पिता का नाम वसीयतनामा में अब्दुल अजीज है तथा सरकारी रिकॉर्ड में अब्दुल अजीज है। अतः उपरोक्त विवेचन अनुसार उपखण्ड न्यायालय, बीकानेर द्वारा पारित किया गया अपीलाधीन आदेश दिनाक 9.1.17 निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण उपखण्ड न्यायालय, बीकानेर को पुनः इस निर्देश के साथ रिमाण्ड किया जाता है कि प्रार्थी अपीलान्ट द्वारा इन्तकाल को चैलेंज नहीं किया है, बल्कि सहवन से लिपिकीय त्रुटि पिता का नाम इब्राहीमखां को दुरुस्त करवाने का प्रार्थना पत्र पेश किया है । अतः प्रार्थी अपीलान्ट के उक्त प्रार्थना पत्र पर पुनः सुनवाई कर उन्हें दस्तावेज प्रस्तुत करने का पूर्ण अवसर प्रदान कर नियमानुसार पुनः युक्तियुक्त निर्णय पारित किया जावे ।

6. तद्नुसार अपील अपीलान्ट निर्णीत शुमार होकर नम्बर से कम हो। निर्णय की प्रति अपील पत्रावली में शामिल की जाकर पत्रावली बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 3.12.2019 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(हनुमान सहाय मीना)
सम्भागीय आयुक्त
बीकानेर

Signature Not Verified
Digitally signed by Hanuman Sahai Meena
Date: 2020.01.14 13:54:38 IST
Reason: SelfAttested
Location: